

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल -462004

क्रमांक एफ 73-34 / 2009 / 20-3  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30-6-09

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल  
प्रीत बिहार, नई दिल्ली ।

विषय:-

अशासकीय शिक्षण संस्था नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटनी, (म0प्र0) को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में समिलित करना होगा ।
- (3) शिक्षण संस्था में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( सी.बी.एस.ई. पंडवार )

अधर सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

1/2/1

क्रमांक एफ 73-34 / 2009 / 20-3

भोपाल, दिनांक 30-6-09

प्रतिलिपि:-

- 1— सचिव अशासकीय शिक्षण संस्था नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटनी, (म0प्र०) को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-
- (1) संस्था सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अधिकारी राज्य शासन द्वारा समस-समस पर तिष्ठ गाँव निदेशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जॉच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2— आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
- 3— जिला शिक्षा अधिकारी जिला, कटनी, म0प्र०।
- 4— ऑडर बुक।

*CB Padwak*  
अवर सचिव  
म0प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-34 / 2009 / 20-3

भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय:-अशासकीय शिक्षण संस्था, नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटनी (म.प्र.) के पते में  
संशोधन करने वाले।

संदर्भ:-इस विभाग के समसंख्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 30 / 06 / 09.

-0-

अशासकीय शिक्षण संस्था नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटनी (म.प्र.) के लिये जारी  
संदर्भित अनापत्ति प्रमाण पत्र में संस्था का संक्षिप्त पता नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटनी  
(म.प्र.) का उल्लेख किया गया है। इस संस्था का पूर्ण पता निम्नानुसार है :—  
अशासकीय शिक्षण संस्था, नालंदा हायर सेकेण्डरी स्कूल, महाराणा प्रताप वार्ड, झिंझरी (कलेक्ट्रेट  
ऑफिस के सामने) कटनी (म.प्र.)

(आर. के. चौकसे)

उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 19.8.13

क्रमांक एफ 73-34 / 2009 / 20-3

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, जबलपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कटनी, म.प्र।
4. सचिव / प्राचार्य अशासकीय शिक्षण संस्था, नालंदा हायर सेकेण्डरी स्कूल, महाराणा प्रताप वार्ड,  
झिंझरी (कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने) कटनी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग

19.8.13

थापा

बेटी है तो कल है।